न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 42/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00154

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. लालसिंह पुत्र श्री दीपसिंह 2. कैनसिंह पुत्र श्री दीपसिंह 3. मोतीसिंह पुत्र श्री दीपसिंह 4. जीवनसिंह पुत्र श्री दीपसिंह 5. जेठुसिंह पुत्र श्री रूगेसिंह 6. हरिसिंह पुत्र श्री रूगेसिंह 7. प्रतापसिंह पुत्र रूगेसिंह, जाति रावत, निवासी सिचियावास (मुडिया), तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. भूरसिंह पुत्र चतरसिंह, जाति रावत, निवासी सिचियावास (मुडिया),तहसील मारवाड़ जंक्शन 2. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–:निर्णय:–

दिनांकः– 28-2-2023

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति मारवाड़ जंक्शन के आदेश दिनांक 26.11.1975 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम मुडिया के नये खसरा संख्या 327 रकबा 3.2249 हैक्टेयर भूमि के आवंटन के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस एंवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम मुडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन में पुराने खसरा संख्या 68 रकबा 949 बीघा 2 बिस्वा की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 327 रकबा 3.2249 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 7 के दादा स्व. रामा पुत्र श्री लूम्बाराम की आई हुई है जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 327 रकबा 3.2249 हैक्टेयर है,जिस पर प्रार्थीगण के दादा स्व. रामा पुत्र लुम्बाराम की कृषि भूमि आई हुई है एवं वर्तमान में कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण सयुक्त परिवार में रहते है एवं वादग्रस्त भुमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भुमि है, जिस पर प्रार्थीगण के दादा रामा पुत्र लुम्बा का सेटलमेंट के पुर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके आस पास चारो दिशाओं की कृषि भूमि पर पर प्रार्थीगण के दादा की कब्जा काश्त थी एवं प्रार्थीगण भी वर्तमान में कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के दादा रामा पुत्र लुम्बा के देहान्त के पश्चात उनके पुत्र दीपसिंह एवं रूगेसिंह एवं उनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होते हुए भी जमाबंदी सम्वत 2036 से 2038 में खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 327 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भुमि भुरसिंह पुत्र चतर सिंह जाति रावत के नाम नामान्तरकरण संख्या 22 आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1975 के नोट के साथ अंकन किया जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 26.11.1975 की नकल

अति. जिला कलक्टर, पाली

निकलवाने पर ज्ञात हुआ की उक्त नामान्तरकरण हेमसिंह पुत्र जैतसिंह के नाम दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 282 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भुमि दर्ज है जो वादग्रस्त भुमि नही होकर अन्य भूमि है। उक्त म्युटेशन संख्या 22 में कहीं भी भूर सिंह का नाम दर्ज नही है, परन्तु फिर भी आगामी जमांबदियों में भूरसिंह पुत्र चतरसिंह का नाम दर्ज है, जिसके बाद 1986 में ग्राम सिचियावास के म्युटेशन संख्या 176 दिनांक 21.05.1986 भरा गया जिसमें संबधित पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कहा की भूरसिंह पुत्र चतर सिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है मौके पर दीपा पुत्र रामा रूगा पुत्र रामा रावत का लम्बे समय से कब्जा काश्त है जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 176 अस्वीकृत किया गया, लेकिन वर्ष 1992 में संबधित पटवारी हल्का द्वारा भूरसिंह पुत्र चतरसिंह नाम का कोई व्यक्ति सिचियावास में न होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 207 में अप्रार्थी भूरसिंह पुत्र चतरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज कर नामान्तरकरण भर दिया जो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का सिचियावास की लापरवाही की वजह से म्युटेशन के बाद की जमाबंदियों में लापता व्यक्ति के नाम खातेदारी आगे से आगे दर्ज होती गई। गांव कण्टालिया के भैरूसिंह पुत्र चतरसिंह को जब उक्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के संबध में जानकारी होते ही जैर आराजी पर दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। भूरसिंह पुत्र चतर सिंह एवं भैरूसिंह पुत्र चतरसिंह अलग अलग व्यक्ति है। भैरूसिंह पुत्र चतरसिंह कण्टालिया को सम्वत 2036 से 2038 में खाता संख्या 74 खसरा संख्या 347 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित हुई है जो वादग्रस्त खसरा नम्बर 327 से भिन्न है एंव अलग अलग समय में आंवटन आदेश जारी किया गया है। भूरसिंह व भैरू सिंह के पिता का नाम चतर सिंह समान होने के कारण उसका फायदा उठाते हुए भैरूसिंह के स्थान पर भूरसिंह दर्ज करवाना चाहता है। जबकि प्रार्थीगण पिछले 15 वर्षो से जैर आराजी भुमि पर कब्जा काश्त कर रहे है एंव जैर आराजी पर बेरा भी खुदवाया है। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नही रहा है। केवल राजस्व अधिकारियों की मिली भगत के कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है जो कानुनन गलत है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2019 को जैर आराजी पर आकर कृषि भूमि से कब्जा हटाने की धमकी देने पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकले निकलवाने पर उक्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आराजी प्रार्थीगण का एक मात्र आजीविका का साधन है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो मुकदमें में वादबाहुल्यता बढेगी एवं प्रार्थीगण के हितो पर भारी कुठाराघात होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सिचियावास (मुडिया) में भूरसिंह पुत्र चतरसिंह या भैरूसिंह पुत्र चतरसिंह के नाम से खसरा नम्बर 327 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1975 को निरस्त करावें।

अप्रार्थी संख्या 01 को बार बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के नाम नोटिस स्थानीय अखबार में साया करवाया उसके उपरांत भी अप्रार्थी अनुपस्थित।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटन कमेटी द्वारा किया दिनांक 26.11.1975 को ग्राम सिचियावास (मुडिया) तहसील मा.जं. के खसरा नम्बर 327 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 26.11.75 नियमानुसार किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवेचन अनुसार भूरसिंह पुत्र चतर सिंह एवं भैरूसिंह पुत्र चतरसिंह अलग अलग व्यक्ति है। भैरूसिंह पुत्र चतरसिंह गांव कण्टालिया का निवासी है जिसको सम्वत 2036 से 2038 में खाता संख्या 74 खसरा संख्या 347 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित हुई जबकि खसरा नम्बर 327 की आराजी 12 बीघा 15 बिस्वा है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का

पुश्तैनी कब्जा व काश्त है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आराजी पर न तो कभी कब्जा रहा है न ही वर्तमान में है। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस भी इस नोट के साथ इस न्यायालय को अदम तामिल प्राप्त हुए कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में निवास नही करता है तथा अखबार में अप्रार्थी का नोटिस साया होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। इन तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए मात्र इस अधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित नही है कि आवंटन शर्तो की पालना करने के कारण अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई, किन्तु यह भी जांच आवश्यक रूप से की जानी थी कि भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा काश्त है। साथ ही जब अप्रार्थी भूरसिंह पुत्र चतरसिंह नाम का कोई व्यक्ति गांव सिचियावास में निवास ही नही करता था तो उसके नाम भूमि आवंटित कैसे हुई। एसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायसंगत नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम सिचियावास के ख.न. 327 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1975 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28-2-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली